FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA.

This is to certify that ______________________________ son/ daughter of ______________________________ of village ______________________________ District/Division ______________________________ in the ______________ State ______________ belongs to the ______________ Community which is recognized as a backward class under:

i) Resolution No.12011/68/93-BCC dated the 10th September, 1993, published in the Gazette of India Extraordinary – Part I, Section-I, No.186 dated 13th September, 1993.
ii) Resolution No.12011/9/94-BCC, dated 19-10-1994 published in Gazette of India extraordinary Part I Section I No. 163, dated 20th October, 1994.
iii) ResolutionNo.12011/7/95-BCC dated the 24thMay 1995 Published in the Gazette of India extraordinary Part-I Section I No.88 dated 25th May, 1995.
iv) Resolution No.12011/96/94-BCC dated 9th March, 1996.
v) Resolution No.12011/44/96-BCC, dated the 6th December, 1996, Published in the Gazette of India –Extraordinary-part I, Section-I, No.210, dated the 11th December, 1996.
vi) Resolution No.12011/13/97-BCC dated 3rd December, 1997.
vii) Resolution No.12011/99/94-BCC dated 11th December, 1997.
viii) Resolution No.12011/68/98-BCC dated the 27th October, 1999.
ix) Resolution No.12011/88/98-BCC dated the 6th December, 1999, published in the Gazette of India, Extraordinary Part-I, Section-I, No.270, 6th December, 1999.
x) Resolution No.12011/36/99-BCC dated the 4th April, 2000, published in the Gazette of India, Extraordinary Part-I, Section-I, No 71, dated 4th April,2000.
xi) Resolution No.12011/44/99-BCC dated the 21-09-2000, published in the gazette of India, Extraordinary Part-I, Section-I, No.210 dated 21-09-2000.

Shri / Smt./ Km. ______________________________ and / or his family ordinarily reside(s) in the ______________________________ District/ Division of the ______________________ State.

This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections(Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the G.O.I. Department of Personnel & Training OM No.3601222/93-Estt.(SCT,) dated 8-9-1993 and modified vide the GOI, DOPT's O.M.No.-36033/3/2004 EST(Res) dated 9-3-2004.

District Magistrate
Deputy Commissioner etc.

Dated:-
Seal:-

Note:- (a)The term 'Ordinarily' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

(b) The authorities competent to issue Caste Certificate are indicated below:-

(i) District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Dy. Commissioner/Additional Deputy Commissioner /Deputy Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Taulka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
(iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
(iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/ or his family resides.

SPECIMEN INTERVIEW LETTER

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, सी. आई. जी. मार्ग, नई दिल्ली.2.
(Website: www.esic.nic.in)

सँख्या–12/16/6/2008–परीक्षा (भाग–1) दिनाँक:

सेवा में

विषय:– कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल,------------ में ---------- के पद पर साक्षात्कार हेतु ।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त पद हेतु आपके आवेदन पत्र के सबंध मे आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित स्थान,तिथि एवं समय पर साक्षात्कार के लिए भर्ती बोर्ड के समक्ष उपस्थित होवें ।

1. स्थान : ------------------------
----
2. तिथि : ------------------------
3. समय : 09.00 (पूर्वाहन)

अभ्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार वह जिस पद हेतु साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो रहे हैं, की पात्रता पूर्ण करते हैं । अभ्यार्थी जो कि संबधित पद की पात्रता पूर्ण नही कर पायेगें उनको साक्षात्कार हेतु सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि साक्षात्कार के समय निम्नलिखित दस्तावेजो / प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ एवं अनुप्रमाणित प्रतियाँ भी साथ लावें ।

1. शैक्षिक योगयता माध्यमिक / उच्च माध्यमिक / स्नातक /उच्च स्नातक से सबंधित अकंतालिका एवं प्रमाण पत्र ।
2. सबंधित तकनीकी योग्यता – डिप्लोमा / डिग्री / प्रशिक्षण की अकंतालिका एवं प्रमाण पत्र ।
3. आयु / जन्म तिथि का प्रमाण पत्र ।
4. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र । अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के उम्मीद्वारों को जाति प्रमाण पत्र भारत सरकार के D.O.P.T. ज्ञापन सँख्या 36033/3/2004 EST- (Res) दिनॉक 09,03,2004 के अनुबन्ध 'क' में दिए गए प्रारुप में होना चाहिए । अ, पि, व, प्रमाण पत्र में क्रीमी लेयर की प्रमाणिकता पिछले एक वर्ष में प्रमाणित होनी चाहिए । यदि अ, पि, व, प्रमाण पत्र उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार के समय प्रस्तुत नहीं किया गया तो उम्मीदवार को अ, पि, व, की रिक्तियों के लिए पात्र नहीं माना जाएगा । शारिरिक रुप से विकलॉग उम्मीद्वार राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी अपना विकलॉगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।
5. अनुभव प्रमाण पत्र, यदि हो ।
6. एक नवीनतम फोटो जो कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो ।
7. यदि पहले से ही किसी केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षैत्र की कम्पनी / स्वायत्त सँस्थान के अधीन कार्यरत है तो नियोजक द्वारा जारी नवीनतम अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

चूँकि मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु आवश्यक है, अतः आपको सलाह दी जाती है कि सभी मूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय अपने साथ लाए अन्यथा आपको साक्षात्कार के लिए भर्ती बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के लिए कोई यात्राा भत्ता देय नहीं होगा । केवल अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार जो कि बेरोजगार है, को दूसरी श्रैणी का मेल/ऐक्सप्रेस रेलगाडी का सबसे छोटे रास्ते का दोनों तरफ का किराया देय होगा जो कि उन्हे साक्षात्कार के लिए योग्य पाए जाने एवं आवश्यक मूल टिकिट प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा ।

यह भी स्पष्ट है कि विभाग द्वारा आपको साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र भेजने का यह मतलब नहीं है कि आपका सबंधित पद के लिए चयन कर लिया जाएगा । आपका चयन आपके साक्षात्कार में प्रदर्शन और इस तथ्य पर की आप न्यूनतम योग्यता / अनुभव रखतें हैं तथा पद के लिए रखी गई अन्य आवश्यक योग्यताओं को पूर्ण करतें हैं, पर किया जायेगा । यदि नियुक्ति हेतु आपका चयन होता है और आप केन्द्रीय सरकार / कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पहले से ही कार्यरत है तो आपका प्रारम्भिक वेतन इस संबध में व्याप्त नियमों के अनुसार नियत किया जाएगा ।

कृपया इस पत्र को साक्षात्कार के समय अपने साथ लायें ।

कृपया यह भी नोट कर ले कि साक्षात्कार के स्थान, तिथि एवं समय के परिवर्तन हेतु कोई भी निवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

चेतावनी:– प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप में किसी भी प्रकार की सिफारिश करवाने अथवा प्रभाव डालने पर अभ्यार्थी को पद हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।

भवदीय,

सयुँक्त निदेशक (भर्ती)